

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	
अपील संख्या- 82/2013/जयपुर	अपील संख्या- 71/2015/जयपुर
अपील संख्या- 83/2013/जयपुर	अपील संख्या- 72/2015/जयपुर
अपील संख्या-1607/2014/जयपुर	अपील संख्या- 605/2013/जयपुर
अपील संख्या-1608/2014/जयपुर	अपील संख्या- 606/2013/जयपुर
मैसर्स रेकित बेन्काईजर इण्डिया लि., बी-139,रोड़ नम्बर-12, वी.के.आई.ए. जयपुर.अपीलार्थी	वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत-तृतीय, जयपुर।अपीलार्थी
बनाम	बनाम
वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत-तृतीय, जयपुरप्रत्यर्थी	मैसर्स रेकित बेन्काईजर इण्डिया लिमिटेड, बी-139,रोड़ न.-12,वीकेआईए, जयपुरप्रत्यर्थी
खण्डपीठ खेमराज, अध्यक्ष मदन लाल, सदस्य	
उपस्थित : :	
श्री एस.के.जैन, अधिवक्ताव्यवसायी की ओर से
श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अधिवक्ताविभाग की ओर से
निर्णय	
निर्णय दिनांक : 23.11.2016	

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चार अपीलें क्रमशः अपील संख्या 82/2013, 83/2013, 1607/2014 एवं 1608/2014, विद्वान उपायुक्त वाणिज्यिक कर, (अपील्स) तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्त आदेशों के विरुद्ध पेश की गयी हैं जिनके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेशों को आंशिक रूप से स्वीकार कर, कर व ब्याज आरोपण की पुष्टि की है एवं शास्ति राशि को अपास्त किया है। इसी प्रकार विभाग द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेशों में शास्ति को अपास्त करने के विरुद्ध चार अपीले, क्रमशः अपील संख्या 71/2015, 72/2015, 605/2013 एवं 606/2013 प्रस्तुत की गयी हैं।
2. सभी अपीलों में विवादित मुख्य बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय के जरिये किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति सभी अपील पत्रावलियों पर पृथक से रखी जा रही है।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जांच अधिकारी द्वारा व्यवसायी के व्यवसाय-स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 26.04.2013 को किये जाने एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच पर पाया गया कि व्यवसायी द्वारा राज्य में Anti mosquito devices and repellants, Deltol Soap, Brasso, Harpic Toilet Cleaner, Lizol Floor Cleaner, Manson Polish, Robin Blue, Rat Kill, Teenaploe, Drugs & Medicines आदि का कारोबार किया जाता है। व्यवसायी द्वारा आलोच्य अवधियों में Harpic Toilet cleaner, Lizol Floor Cleaner पर 5 प्रतिशत की दर से वेट संग्रहित कर, कर चुकाया जा रहा है किन्तु निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त वर्णित वस्तुओं को अधिनियम की सूची-v के अनुसार 14





लगातार.....2

प्रतिशत से होना मानकर, व्यवसायी द्वारा की गयी बिक्री पर अन्तर कर तथा आरोपित कर के अदत्त रहने के कारण, अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत अनुवर्ती ब्याज आरोपित किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर 9 प्रतिशत कर का करापवंचन किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियां भी निम्नतालिकानुसार आरोपित की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी के इन पृथक्-पृथक् आदेशों के विरुद्ध व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवसायी की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार कर, लाईजोल (Lizol) और हारपिक (Harpic) नाम के उत्पादों की कर देयता अनुसूची-V के अनुसार मानते हुए, अन्तर कर व ब्याज को सही ठहराया एवं धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त कर दिया। जिनके विरुद्ध निम्नतालिकानुसार व्यवसायी अपीलार्थी व विभाग द्वारा पृथक्-पृथक् अपीलों अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं. व आदेश दिनांक	कर नि. आ. दि	वि. वर्ष	कर	शास्ति	ब्याज
82/13	189/अपी-III/11-12/12.10.12	30.09.11	10-11	40,35,789	-	3,63,220
83/13	190/अपी-III/11-12/12.10.12	30.09.11	11-12	30,19,507	-	90,590
1607/14	251/अपी-III/13-14/15.07.14	26.06.13	11-12	66,40,875	-	13,28,175
1608/14	252/अपी-III/13-14/15.07.14	26.06.13	12-13	1,22,34,183	-	17,12,786
71/15	251/अपी-III/13-14/15.07.14	26.06.13	11-12	-	1,32,81,750	-
72/15	252/अपी-III/13-14/15.07.14	26.06.13	12-13	-	2,44,68,366	-
605/13	189/अपी-III/11-12/12.10.12	30.09.11	10-11	-	80,71,578	-
606/13	190/अपी-III/11-12/12.10.12	30.09.11	11-12	-	60,39,014	-

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

5. व्यवसायी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि रेकित बैन्काईजर इण्डिया लि० द्वारा "हारपिक" व "लाईजोल" आदि का व्यवसाय किया जाता है, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV की संख्या 21 व 29 के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं के अनुसार, व्यवसायी द्वारा पूर्व में भी उक्त वर्गीकृत कर की दर के अनुसार ही, इन वस्तुओं पर, कर अदा किया जाता रहा है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा गलत आधार पर किये गये निर्धारण आदेशों को उपायुक्त(अपील्स) द्वारा अविधिक रूप से स्वीकार किया गया है क्योंकि व्यवसायी अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत "हारपिक" व "लाईजोल" नामक उत्पाद राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-V की एन्ट्री संख्या 21 व 29 से शासित हैं और इन पर तदनुसार कर की राशि अदा की जा रही है परन्तु कर की विशिष्ट एन्ट्री से हट कर, आक्षेपित आदेश से "लाईजोल" व "हारपिक" उत्पादों को अनुसूची-V के अनुसार मूल्यांकित करके, कर की दर अधिरोपित की गयी है, जो अविधिक है। राजस्व द्वारा इन उत्पादों को कथित रूप से सफाई प्रदान करने क्लीनिंग ऐजेन्ट्स रूपी उत्पाद मानकर अविधिक रूप से इन्हें अनुसूची-V के आधार पर करारोपित करने का जो आदेश पारित किया गया है, वह उचित नहीं है अपीलीय अधिकारी ने भी उक्त आदेश की अविधिक तौर पर पुष्टि की है। अतः "हारपिक" व "लाईजोल" नामक वस्तुओं के संबंध में पारित निर्णय को अपास्त कर, व्यवसायी रेकित बैन्काईजर इण्डिया लि० की अपीलों स्वीकार की जावें और विभाग द्वारा

प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाने का निवेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता ने कर विधि के तहत प्रविष्टियों के निर्वचन पर कर वंचना हेतु शास्ति आरोपित नहीं होने के संबंध में निम्न न्यायिक विनिश्चयन प्रस्तुत किये :-

1. CTO (A-E), Sriganaganagar Vs Ms Durgeshwari Foods Ltd. 32 Tax Update page 3
2. Commissioner of Income Tax Vs Reliance Petroproducts Pvt. Ltd. 322 ITR pg 158
3. ACTO, Jodhpur Vs Nirali Dhani 35 Tax Update pg 269
4. Uniflex Cables Ltd. Vs Commsissioner Central Excise, Surat 40 PHT pg 28
5. Sree Krishna Electricals Vs State of Tamil Nadu and another 23 VST pg 249
6. Dasu Ram Nautan Dass Vs State of Punjab and another 32 PHT pg 491
7. Lord Venketeshwar Caterers Vs CTO Anti-evasion 8 VAT Rep. pg 264

का अवलम्ब लेकर अपने तर्कों में यह भी कहा है कि उपायुक्त (अपील्स) द्वारा पारित निर्णय अविधिक है और इसे निरस्त किया जाये, इसके साथ ही जे.के. सिन्थेटिक के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिपादित मत के अवलोकन में ब्याज आरोपण भी अविधिक है। अतः व्यवसायी की अपीलें स्वीकार की जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि विभाग द्वारा विलम्ब से राजस्व अपीलें प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब को सन्तोषजनक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाये।

6. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि "हारपिक व लाइजोल" उत्पाद "इनसेक्टीसाइड" नहीं होकर, ये "सफाई" के काम में आने वाले उत्पाद है और इन उत्पादों की पैकिंग पर चिपकाये गये लेबल पर ऐसा ही अंकित है। व्यवसायी द्वारा इन उत्पादों पर सही कर अदा नहीं करके, करवंचना की गयी है और व्यवसायी रेकिट बेन्काईजर इण्डिया लिमिटेड द्वारा उपर्युक्त वर्णित दोनों उत्पाद "हारपिक" व "लाईजोल" "इनसेक्टीसाइड" नहीं है एवं इस पर अनुसूची-V के अनुसार ही कर का दायित्व बनता है। पेस्टी साइडस जो व्यवहारी ने 5 प्रतिशत करदेयता दर्शाकर, कर जमा कराया है अतः देय कर जमा नहीं करवा कर करवंचना की गई है जिस पर सुनवाई का अवसर दिया जाकर कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की थी वह उचित व विधिनुकूल थी जिसको अपीलीय अधिकारी ने अपास्त किया है जिसको पुनः प्रतिस्थापित की जाने की प्रार्थना की।

7. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों का अध्ययन किया व आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया गया। राजस्व तथा व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपीलों में किये गये विलम्ब को न्यायहितार्थ कन्डोन करके इनका निर्णय गुणावगुण के आधार पर अग्रवत रूपेण किया जा रहा है।

8. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV की मद संख्या 21 व 29 निम्नवत परिभाषित है:-

एन्ट्री संख्या- 21 Bio-fertilizers and Micronutrients also plant growth promoters and regulators, herbicides, rodenticide, insecticide, weedicide etc.

एन्ट्री संख्या- 29 Chemical fertilizeers and pesticides.

निर्धारण अधिकारी ने "लाईजोल व हारपिक" नामक उत्पादों के उपयोग व लेबिल साहित्य, संवाद रूप तथा इनकी प्रकृति को ध्यान में रख कर इन्हें फर्श साफ करने व घर के टायलेट आदि के साफ करने का उत्पाद माना है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा

लगातार.....4

उत्पाद की सृजन पृष्ठ भूमि व उपयोग तथा संवाद एवं संरचना को विवेचित भी किया गया है तदनुरूप :-

Harpic: Power toilet cleaner-triple action अर्थात् 1- Removes tough stains 2- Kills germs 3- Fights odours.

Lizol 3 in 1 disinfectant surface cleaner:- तथा इसके लेबिल पर यह अंकित है कि :- Unique formulation kills 99.9 percent germs removes tough stains and leaves a pleasant fragrance. It is stated in the direction for use of Lizol that the item is used for cleaning floor and bathroom surfaces and safe on all surfaces like ceramic, marble, etc. From the product description and the nature of use stated in the products, there ought not be any doubt that the items are essentially used as stain removers and deodorants, though they kill germs as well.

9. इसके अतिरिक्त व्यवसायी द्वारा हार्पिक को मुख्यतः टॉयलेट क्लीनर के रूप में ही बिक्रीत किया जाता है एवं उपभोक्ता द्वारा भी इसी रूप में इसे खरीदा जाता है इस संबंध में हार्पिक ब्रान्ड की विकीपिडिया में दी गई प्रविष्टि का उल्लेख है कि Harpic (cleaning product):- From Wikipedia, the free encyclopedia Harpic is the brand name of a toilet bowl cleaner launched in England in the 1920s and now marketed by Reckitt Benckiser. The brand is now available in Africa, the Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America and Eastern Europe. The toilet cleaning products marketed under the brand name include liquids, tablets, wipes, brush systems, toilet bowl and cistern blocks. The Original toilet cleaner was invented by Mr Harry Pickup, Who was based in Roscoe Street, carbourough, in North Youkshire. He also invented Oxyptic, which was a sealant used in cast iron heating systems. इससे स्पष्ट है कि "हार्पिक" ब्रान्ड प्रारम्भ से ही टॉयलेट क्लीनर के रूप में ही निर्मित हुआ है और व्यवसायी द्वारा बिक्री किया जाता रहा है। व्यवसायी द्वारा अपने "हार्पिक" ब्रान्ड की केस स्टडीज में भी हार्पिक को टॉयलेट क्लीनर उत्पाद के रूप में ही माना है जो कि व्यवसायी की इस ब्रान्ड को टॉयलेट क्लीनर के रूप में ही स्वीकारोक्ति देता है। इसकी स्टडीज का सारांश इस प्रकार है :-

RECKIT BENCKISER MDI School - A Case Analysis in association with marquity Surface care Supremecy of Harpic & Road Ahead Case Study:- The brand has made a long journey since its humble beginnings. Harpic is now sold in over 47 countries worldwide on the platform of "Powerful cleaning" . It is positioned as the expert in Lavatory care and offers a complete range of lavatory care prouducts such as liquid toilet bowl cleaners, toilet bowl blocks, cistern blocks, wipes and tablets. In liquid cleaner segment, the brand offers Harpic Power and Harpic Fresh. In automatics segment, it offers Harpic Flushmatic and Harpic Hygienic (Refer Annexure 1b for current harpic range of prouduct)

10. व्यवसायी द्वारा बिक्रीत लाइजोल की व्यवसायी की स्वयं की वैबसाईड www.lizol.co.in को देखने पर भी लाइजोल की बिक्री सरफेस क्लीनर के रूप में ही की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा अपने इन उत्पादों को टॉयलेट क्लीनर एवं सरफेस क्लीनर के रूप में ही बिक्रीत किया जा रहा है। जिसकी अप्रत्यक्ष स्वीकृति उपरोक्त वर्णित व्यवहारी के स्वयं के विक्रय विवरण व अन्य तथ्य देते हैं।

11. किसी भी उत्पाद को कर दर की श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए सुस्पष्ट विधिक सिद्धांत Theory of Common Parlance" के परिपेक्ष्य में भी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये जाने वाली वस्तुएं Harpic Toilet Cleaner and Lizol Floor Cleaner सामान्य बोलचाल की भाषा तथा व्यवसायिक भाषा में टॉयलेट व फर्श साफ करने वाली वस्तुएं हैं।

यहां सामान्य बोलचाल की भाषा अर्थात् थ्योरी ऑफ कॉमन पारलेन्स का उल्लेख करना समीचीन होगा।

"The most familiar test which is often applied in determining the classification among the two competitive entries in a taxation schedule is what is known as popular or commercial parlance test. It has been often emphasized that the scientific or technical meaning of the goods in the taxation schedule should give way to the meaning ordinarily ascribed to them by those who deal with or use those goods, be it traders or consumers. In Indian aluminum cables ltd. v UOI, Hon'ble Justice Chandrachud, CJ speaking for a three judge Bench observed. "This Court has consistently taken the view that, in determining the meaning or connotation of words and expressions describing an article in a Tariff Schedule, one principle which is fairly well-settled is that those words and expressions should be construed in the sense in which they are understood in the trade, by the dealer and the consumer. The reason is that it is they who are concerned with it and, it is the sense in which they understand it which constitutes the definitive index of the legislative intention.

In the case of Dabur India Ltd. another three Judge Bench of the Supreme Court, after reviewing various authorities, summarized the principle thus:

"From the above mentioned authorities, it is clear that in classifying a product the scientific and technical meaning is not to be resorted to. The product must be classifiable according to the popular meaning attached to it by those using the product. As stated above, in this case the appellants have shown that all the ingredients in the product are those which are mentioned in Ayurvedic Text Books. This by itself not be sufficient but the Appellants have shown that they have a Drug Controller's Licence for the product and they have also product evidence by way of prescriptions of Ayurvedic Doctors, who have prescribed these for." In Commissioner of CE vs. Sharma Chemical works, it was observed that "the main criteria for determining classification is normally the use it is put to by the customers who use it".

माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में Noorie Manure Mill V/s Commissioner, Trade Tax, UP(SC){2007}8 VAT Reporter Part-2 page 144 के मामले में निर्णीत किया है कि For Classification of commodities, common parlance test to be applied." माननीय उच्चतम न्यायालय ने Trutuf safety glass industries V/s Commissioner of Sales Tax, UP (S.C) {(2007) 8 VAT Reporter part-II page 281} के मामले में निर्णीत किया है कि "Entries in taxation are not to be interpreted based on the scientific meaning of the term or expressions used but they are to be interpreted based on their popular meaning i.e. the meaning attached to them by those dealing in them" इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूमा आयुर्वेदिक हर्बल प्रा0लि0 बनाम् कमिश्नर सेन्ट्रल एक्साईज, नागपुर (2006) 145 एस.टी.सी. पेज 200 में निम्न प्रकार सिद्धान्त प्रतिपादित किया है— What is to be seen is whether the products are likely to be in common use by normal consumers. Common parlance meaning and understanding is a strong factor in the determination of classification of products. One need not resort to scientific or technical meaning of the terms used". माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त नवीनतम निर्णयों के आधार पर भी यह स्पष्ट है कि Toilet Cleaner and Floor Cleaner को सामान्य बोलचाल (Common Parlance) में Toilet Cleaner and Floor Cleaner के रूप में जाना जाता है pesticides/insecticide के नाम से नहीं जाना जाता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 12. उपरोक्त निर्णयों से स्पष्ट होता है कि आम बोल चाल की भाषा में एवं वस्तु के सामान्य प्रयोग से ही कर सम्बन्धी नियमों की व्याख्या की जाती है। इस आधार पर व्यवसायी द्वारा बिक्रीत उत्पाद अनुसूची-V की कर देयता में आते हैं। अतः हारपिक व लाईजोल श्रृंखला में बिक्रीत उत्पाद उनके प्रचलित नामों में Toilet Cleaner and Floor Cleaer के रूप में ही बिक्रीत होने से Toilet Cleaner and Floor Cleaner ही है। इन

उत्पादों का मुख्य

प्रयोग भी Toilet Cleaner and Floor Cleaner ही है। अतः विशिष्ट नाम से ये उत्पाद Toilet Cleaner and Floor Cleaner को शिड्यूल IV में नहीं आते और ये Toilet Cleaner and Floor Cleaner के नाम से ही खरीदे एवं बेचे जाने के कारण अनुसूची V के अधीन करयोग्य है।

13. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 21 पौधों की वृद्धि व बचाव वाली वस्तुओं की एक श्रेणी (category) है, इसलिये इसमें केवल जैविक खाद (Bio-fertilizers) तथा सूक्ष्म पोषक (Micronutrients) तथा पौधों के वृद्धिकारण (Growth promoters) व नियामक (Regulators) जड़ी बूटियों को हानि पहुँचाने वाले कीड़ों को मारने वाले, कीटनाशक, (Herbicides) पौधों को नुकीले दाँतों से कुतरने वाले कीड़ों को मारने वाले, कीटनाशक, (Rodenticide) पौधों को हानि पहुँचाने वाले खरपतवार को नष्ट करने वाले (weedicide) की एक श्रेणी में सम्मिलित कर अनुसूची- IV की प्रविष्टि संख्या 21 में एक साथ लिया गया है। इसी प्रकार प्रविष्टि संख्या 29 फसलों की वृद्धि व बचाव वाली वस्तुओं की एक श्रेणी है। प्रविष्टि संख्या 21 पौधों को हानि पहुँचाने वाले कीटों एवं खरपतवारों से बचाव तथा उनके संवर्द्धन के लिये है तथा प्रविष्टि संख्या 29 फसलों के संवर्द्धन व कीटों से बचाव के लिये है।

14. "सामान्य बोलचाल", "उपयोग" व इसकी संरचना में मिश्रित घटकों की योग्यता के अनुसार हारपिक व लाईजोल का उपयोग टाईलेट व फर्श क्लीनर के रूप में मुख्य रूप से किया जाता है और कीटनाशक प्रभाव इनका मुख्य उपयोग ना होकर "गौण" व आनुषंगिक प्रकृति का उपयोग माना जा सकता है तथा ये दोनों उत्पाद मुख्य रूप से कीटनाशक प्रकृति के उत्पाद कदापि नहीं है अतः इन्हें मद संख्या 21 व 29 से जोड़ कर देखना विधिक रूप से उचित नहीं है। कीटनाशक रसायन का उपयोग कृषि व पौध में व्याप्त कीट व खरपतवार के नाशन हेतु किया जाता है जिसके उपयोग पर, उपयोगकर्ता को "आँख व श्वसन तन्त्र तथा त्वचा" को इस प्रकार बचा कर रखा जाना अपेक्षित है कि जिससे इनके हानिकारक तत्व प्राणी को क्षति कारित ना करे जबकि "लाईजोल व हारपिक" नामक उत्पादों में प्रयुक्त कीटनाशक की मात्रा "गौण" होकर, इतनी सूक्ष्म रहती है कि ये पदार्थ "महिला व बच्चे" भी आवरण रहित (unprotective) होकर, निर्बाध रूप से उपयोग करते हैं और लाईजोल व हारपिक नामक उत्पादों का परिणाम भी मुख्य रूप से (Primarily) स्वच्छता कारक व सफाई देने वाला ही रहता है एवं गौणरूपेण कीटनाशक, ऐसी अवस्था में "हारपिक व लाईजोल" नामक उत्पादों का "उपयोग" (use) ही, इनका द्योतक है जो इस उत्पाद की प्रकृति को परिभाषित करने हेतु पर्याप्त है। अतः यह दोनों वस्तुएँ अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 21 व 29 से हट कर, प्रविष्टि संख्या V के उत्पाद हो जाती है। माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ ने अपील संख्या 2071 से 2073/2010 निर्णय दिनांक 15.09.2011 में अपीलार्थी व्यवहारी के स्वयं के प्रकरण में ही उक्त तथ्य को पुष्ट भी किया है। फलतः इन पर अनुसूची V में वर्णित कर की दर युक्तियुक्त और आरोपित अंतर कर तथा ब्याज संबंधी बिन्दुओं पर यह खण्डपीठ इनके अधिरोपण को विधिसम्मत पाते हुए इन्हें यथावत रखना उचित पाती है।

15. जहां तक राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 71/2015, 72/2015, 605/2013 व 606/2013 का प्रश्न है जिसमें उन्होंने शास्ति अपास्त किये जाने के अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर पुनः स्थापित करने का अनुरोध किया है इसके सम्बन्ध में व्यवसायी ने निम्न न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किये हैं :-



लगातार.....7


वाणिज्यिक कर अधिकारी, स्पेशल सर्किल, पाली बनाम् मैसर्स सोजत लाईम कम्पनी, 74 एस.टी.सी.288 (राज.) व वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स बारां कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. 93 एस.टी.सी. 239 (राज.) व सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स कुमावत उद्योग 97 एस.टी.सी. 238 (राज.) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर बनाम् मैसर्स एल.एन.टी. कोमात्सू लि. उदयपुर, सैल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 226/2009 से 229/2009 निर्णय दिनांक 29.03.2010 व मैसर्स लार्ड वैंकटेश्वरा कैटर्स बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर 19 टैक्स अपडेट 85(राज.) व मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी.एस.टी. 249 (सु.को.) व सहायक आयुक्त, उदयपुर बनाम् मैसर्स कोटेज इण्डस्ट्रीज एक्सपोजिशन लि. (2008) 22 टैक्स अपडेट 289 (रा.क.बो.) खण्डपीठ एवं मैसर्स ह्यूलेट पेकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा.लि. बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर - 25 टैक्स अपडेट 189 (राजस्थान कर बोर्ड) व मैसर्स साधवानी ट्रेडर्स, जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर - 27 टैक्स अपडेट 43 (राजस्थान कर बोर्ड) एवम् हालिया निर्णय मैसर्स रेबेनसन ऑप्टीक्स लि. भिवाडी बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, भिवाडी, अपील क्रमांक 1437/2009 से 1439/2009/अलवर निर्णय दिनांक 12.07.2011 (राजस्थान कर बोर्ड)


16. चूंकि माननीय न्यायालयों के उपरोक्त प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालयों का निरन्तर यह मत रहा है कि विक्रय संव्यवहारों के लेखा पुस्तकों में दर्ज होने के कारण करवंचना शास्ति आरोपणीय नहीं है। कर बोर्ड की समन्वय पीठों (खण्डपीठों) द्वारा भी प्रोद्धरित निर्णयों में माननीय न्यायालयों के प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में शास्ति धारा 61 के तहत आरोपण को अनुचित माना जाता रहा है। अतः आरोपित शास्ति धारा 61 न्यायोचित नहीं होने के कारण इसको अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी के द्वारा त्रुटि नहीं की है।

17. व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, विवादित वस्तु "हारपिक" व "लाइजोल" पर आरोपित अंतर राशि व अनुवर्ती ब्याज यथावत रखा जाता है तथा आरोपित शास्ति अतर्गत को अपास्त करने की अपीलीय अधिकारी के निर्णय की पुष्टि की जाती है धारा 61 तथा प्रकरण के पूर्व में विवेचित तथ्यों के प्रकाश में, व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें उपर्युक्तानुसार निस्तारित करके, अस्वीकार की जाती है।

18. उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें कर व ब्याज के बिंदु पर अस्वीकार की जाती है। साथ ही राजस्व द्वारा प्रस्तुत शास्ति के बिंदु पर अपीलें भी अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


23.11.2016
(मदन लाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष